

[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]  
 भारत सरकार  
 वित्त मंत्रालय  
 (राजस्व विभाग)

### अधिसूचना सं०. 7/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

सा.का.नि.....(अ).- संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, परिषद् की अनुशंसा पर, एतद्वारा अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट पंजीकृत व्यक्ति, किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त नीचे तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता के रूप में विलोमतः प्रभार के आधार पर कर का भुगतान करेगा, यथा:-

#### तालिका

क्र.सं.	माल और सेवाओं की आपूर्ति की श्रेणी	माल और सेवाओं का प्राप्तकर्ता
(1)	(2)	(3)
1	ऐसे माल और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति [डेवलपमेंट राइट्स के अनुदान, भूमि का दीर्घकालिक पट्टा (प्रीमियम, सलामी, विकास शुल्क आदि के रूप में अग्रिम भुगतान के प्रति) या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स सहित) के माध्यम से सेवाओं के अलावा] अधिसूचना सं०. 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 28.06.2017, यथा संशोधित, जिसे सा.का.नि. सं. 702(अ), दिनांक 28.06.2017 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, के तालिका में क्रम सं. 3 के समक्ष के मद (i), (iक), (ख), (ग) और (घ) में यथा निर्धारित किसी वित्तीय वर्ष(या पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि तक वित्तीय वर्ष का भाग या पहले व्यवसाय, जो भी पहले हो, तक) में, जो प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किसी प्रमोटर द्वारा खरीदे जाने हेतु अपेक्षित माल या सेवाओं के न्यूनतम मूल्य से कमी को संस्थापित करता है।	प्रोमोटर
2	सीमेन्ट जो कि सीमाशुल्क टैरिक अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 2523 के अंतर्गत आता है जो कि अधिसूचना सं०. 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 28.06.2017, यथा संशोधित, जिसे सा.का.नि. सं. 702(अ), दिनांक 28.06.2017 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, के तालिका में क्रम सं. 3 के समक्ष के मद (i), (iक), (ख), (ग) और (घ) में यथा निर्धारित किसी वित्तीय वर्ष(या पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि तक वित्तीय वर्ष का भाग या पहले व्यवसाय, जो भी पहले हो, तक) में, जो प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किसी प्रमोटर द्वारा खरीदे जाने हेतु अपेक्षित माल या सेवाओं के न्यूनतम मूल्य से कमी को संस्थापित करता है।	प्रोमोटर

3	<p>पूंजीगत माल जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के किसी भी अध्याय के अंतर्गत आता हो और जिसे ऐसे किसी प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किसी प्रमोटर को आपूर्ति किया गया हो जिस पर अधिसूचना सं. 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 28.06.2017, यथा संशोधित, जिसे सा.का.नि. सं. 702(अ), दिनांक 28.06.2017 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, के क्रम सं. 3 के समक्ष के मद (i), (iक), (iख), (iग) और (iघ) में विनिर्दिष्ट दर से कर का भुगतान देय हो या किया जाता हो।</p>	प्रोमोटर
---	--	----------

**स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य हेतु -**

(i) "प्रमोटर" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (यट) में दिया गया हो।

(ii) "प्रोजेक्ट" से अभिप्रायः किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) या रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP) से है

(iii) "रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP)" का वही अभीप्रायः होगा जो इसके लिए रीयल इस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट ) एक्ट , 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के उपवाक्य (यढ) में दिया गया हो।

(iv) "रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP)" का अभिप्रायः उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो।

(v) "फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (एफएसआई)" से अभिप्रायः किसी भवन के कुल फ्लोर एरिया (सम्पूर्ण फ्लोर एरिया) और उस भू-खण्ड के क्षेत्रफल के अनुपात से है जिसपर कि ऐसे भवन का निर्माण हुआ हो।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2019 को प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 354/32/2019 -टीआरयू

(प्रमोद कुमार)  
उप सचिव, भारत सरकार